भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2203

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति

2203. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4-रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर के अनेक ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अनियमित है और स्मार्ट मीटरों, उन्नत वितरण प्रणालियों और ग्रिड आधुनिकीकरण के अपेक्षित लाभों को पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के अंतर्गत किसी परियोजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो अनुमोदित राशि का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र स्मार्ट मीटर लगाने, लाइन हानियों को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण के लिए एक विशेष कार्य योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भविष्य में इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के दायरे में है। भारत सरकार (जीओआई) चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों के प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान कर रही है, जिसके तहत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने

हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वितरण के दौरान हानियों में कमी लाई जा सके तथा सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

आरडीएसएस के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए, 9,738 करोड़ रुपये की हानि न्यूनीकरण कार्य और 8,911 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

स्कीम के अंतर्गत, रतलाम संसदीय क्षेत्र में 360 करोड़ रुपये की लागत वाले वितरण अवसंरचना कार्य जैसे कि नए 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, पुरानी केबलों का प्रतिस्थापन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत 8,232 जनजातीय घरों के विद्युतीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 657 परिवारों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

इसके अलावा, स्कीम के तहत डिस्कॉम की संग्रह दक्षता में सुधार करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने जैसे लाभ प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत, मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1.34 करोड़ स्मार्ट मीटर सहित 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कार्यों को मंजूरी दी गई है। आरडीएसएस सहित विभिन्न स्कीमों के तहत अब तक देश भर में 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित 37.29 लाख स्मार्ट मीटर शामिल हैं, जिनमें से 1,69,049 स्मार्ट मीटर रतलाम संसदीय क्षेत्र में लगाए गए हैं।

आरडीएसएस के तहत, वितरण अवसंरचना के लिए निधि जारी करना विभिन्न मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटी की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है, जिसमें हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटर की संस्थापना की प्रगति शामिल है। संस्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन से वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

****